63

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2014–04(सा0)13

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2014

विषय : विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 151/IV(2)–श0वि0–04(सा0)–2013, दिनांक 25.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में अवस्थित 29 नगर निकयों में भारत सरकार द्वारा प्राप्त विशेष योजनागत सहायता (SPA) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सिविल कार्यों सहित कुल ₹732.53 की लाख प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रदान की गयी प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति में केवल सिविल कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि ही सम्मिलित है, अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत क्रय किए जाने वाली सामग्री की लागत उक्त स्वीकृति में सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त ₹732.53 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को संशोधित करते हुए सिविल कार्यों हेतु ₹732.53 लाख एवं अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री की लागत ₹1053.07 लाख, इस प्रकार कुल ₹1785.60 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **₹268.00 लाख (₹दो करोड़ अड़सठ लाख मात्र)** की धनराशि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार सामग्री क्रय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ii) उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्री क्रय करने की प्रक्रिया एवं निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण सहित योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(iii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(iv) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(vi) यह सुनिश्चित किया जाय कि केवल एस0पी0ए0 के अन्तर्गत अनुमोदित स्थानों/नगर निकायों के लिए ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(vii) उक्त धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 खाते रखी जाय। योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के दृष्टिगत पी0एल0ए0 खाते से धनराशि व्यय की जाने की स्वीकृति समय–समय पर निर्गत की जायेगी।

3– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–14–"नगर निकायों में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन परियोजना का क्रियान्वयन" के मानक मद 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–845/XXVII(2)/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S1403130753 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0– 1592 (1)/IV(2)-श0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।